न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०),कोर्ट नं०१९, आजमगढ़।

मु० नं०–१४३३/१९९६
रामजानकी बनाम श्यामबिहारी
CNR No–UPAZ060007381996

दिनांक–०५.०८.२०२१

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र १३२ग२ व १३०क२ पर सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र १३२ग२

प्रार्थना पत्र १३२ग२ प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा हाजा में प्रतिवादी नं०१ श्यामबिहारी की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी सूचना वकील वादी को दिये थे। दुर्भाग्यवश वकील वादी राजेश विक्रम श्रीवास्तव एड० को भीषण एक्सीडेन्ट करीब चार वर्ष पूर्व हो चुका था, जिस वजह से वह जेरे इलाज रहे। इस वजह से समय सीमा के अन्तर्गत दरखास्त वरासत नहीं दे सके। जिस वजह से मुकदमा स्वतः अबेट हो गया। हम वादी ने जानबूझकर कोई गुरेज या गलती दरखास्त वरासत देने में नहीं किया है। बल्कि जो भी विलंब हुआ है, वह मजबूरीवश हुआ है। ऐसी दशा में वादी पाने फायदा हस्ब दफा ५ कानून मियाद का है। न्यायहित में दफा ५ कानून मियाद का लाभ देते हुए अबेटमेन्ट को निरस्त करते हुए दरखास्त वरासत अन्दरमियाद माना जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दफा ५ कानून मियाद का लाभ देते हुए अबेटमेन्ट निरस्त करते हुए दरखास्त वरासत अन्दरमियाद माने जाने की अनुमति प्रदान करे। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दफा ५ मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए विलंब क्षमा कर दरखास्त वरासत प्रार्थना पत्र अन्दरमियाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र १३२ग२ शपथपत्र १३३ग२ द्वारा समर्थित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। अतः वाद के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के सम्यकरूपेण, अंतिम व गुण–दोष पर त्वरित निस्तारण के उद्देश्य में न्यायहित में प्रार्थना पत्र १३२ग२ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र १३२ग२ स्वीकार किया जाता है। विलंब क्षमा किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र १३०क२ पुनः पेश हो।

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं०१९, आजमगढ़।
J.O.Code–UP3370

पत्रावली पुनः पेश हुई। उभयपक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र १३०क२ पर सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र १३०क२

प्रार्थना पत्र १३०क२ प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा हाजा में श्यामबिहारी प्रतिवादी नं०१ अपने वरसाय हसब पता जैल को अपने एकमात्र करीबतरीन जायज वारिस छोड़कर फौत कर गया है। अलावा इनके अन्य कोई दूसरा कोई उपरोक्त मृतक का करीबतरीन जायज वारिस नहीं है। ऐसी दशा में उनवान अरजी के प्रतिवादी नं० १ श्यामबिहारी नाम के आगे

लब्ज मृतक लिखा जाना एवं उसके स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज किया जाने की अनुमति मिलना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी नं० १ श्यामबिहारी नाम के आगे लब्ज मृतक लिखे जाने व उसके स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज होने व किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा की जाय। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी नं० १ श्यामबिहारी नाम के आगे लब्ज मृतक लिखे जाने व उसके स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज होने व किये जाने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र १३०क२ शपथ पत्र १३१क२ द्वारा समर्थित है। वारिसान जरिये प्रकाशन १३७घ पत्रावली पर हाजिर हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। अतः वाद के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के सम्यकरूपेण, अंतिम व गुण–दोष पर त्वरित निस्तारण के उद्देश्य में न्यायहित में प्रार्थना पत्र १३०क२ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वरासत प्रार्थनापत्र १३०क२ स्वीकार किया जाता है। आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण दिनांक ११.१०.२०२१ को पेश हो।

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं०१९, आजमगढ़।
J.O.Code–UP3370